

“विज्ञप्ति”

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: 15932/सात0लाई0-44/आबकारी नीति 2021-22/विज्ञप्ति/टैण्डर/2021-22/देहरादून/दिनांक/फरवरी 11,2022 एवं शासनादेश संख्या 118/XXIII- 1/2020-04(10)2021 आबकारी अनुभाग, देहरादून दिनांक 11.02.2022 के क्रम में जनपद की अद्यतन अव्यवस्थापित मदिरा की निम्न फुटकर दुकानों का वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 25.02.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक) के व्यवस्थापन के लिये निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:-

क्र०सं०	विवरण	स्थान, दिनांक व समय
01	ऑन लाईन ऑफर प्रकाशन की तिथि	दिनांक: 17.02.2022 के पूर्वान्ह 11:00 बजे
02	निविदा अभिलेख ई-पोर्टल पर उपलब्धता की समय सीमा	दिनांक: 17.02.2022 अपरान्ह 5:00 बजे से दिनांक 24.02.2022 के अपरान्ह 12:00 बजे तक
03	ऑन लाईन ऑफर www.uktenders.gov.in में अपलोड करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांक: 17.02.2022 अपरान्ह 5:00 बजे से दिनांक 24.02.2022 के अपरान्ह 12:00 बजे तक
04	जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करने की तिथि व समय सीमा	दिनांक 24.02.2022 के अपरान्ह 01:00 बजे तक
05	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक: 24.02.2022 के अपरान्ह 02:00 बजे जिलाधिकारी /कलैक्टर कार्यालय अल्मोडा
06	तकनीकी निविदा में सफल आवेदकों की सूची अपलोड करने की समय सीमा	दिनांक: 24.02.2022 के अपरान्ह 05:00 बजे
07	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दिनांक: 25.02.2022 के पूर्वान्ह 10:00 बजे
08	वित्तीय निविदा में सफल आवेदकों की सूची अथवा रिपोर्ट अपलोड करने की समय सीमा	दिनांक: 25.02.2022 के पूर्वान्ह 11:30 से कार्य समाप्ति तक
09	निविदा खोलने का स्थान	जिलाधिकारी /कलैक्टर कार्यालय अल्मोडा

अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों का राजस्व विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	मदिरा दुकान का		दिनांक 25.02.2022 से 31.03.2022 तक का राजस्व विवरण				
	नाम	प्रकार	कुल राजस्व	अनुज्ञापन शुल्क	कुल अधिभार	धरोहर धनराशि	हैसियत की धनराशि
1	भिकियासैण	देशी मदिरा	709589	7000	702589	17740	70959
2	मौलेखाल	देशी मदिरा	345206	3000	342206	8631	34521
3	देघाट	देशी मदिरा	306850	3000	303850	7672	30685
4	स्याल्दे	देशी मदिरा	210960	2000	208960	5274	21096
5	सराईखेत	देशी मदिरा	352877	4000	348877	8822	35288
6	डोटियाल	देशी मदिरा	352877	4000	348877	8822	35288
7	मासी	देशी मदिरा	356344	4000	352344	8909	35635

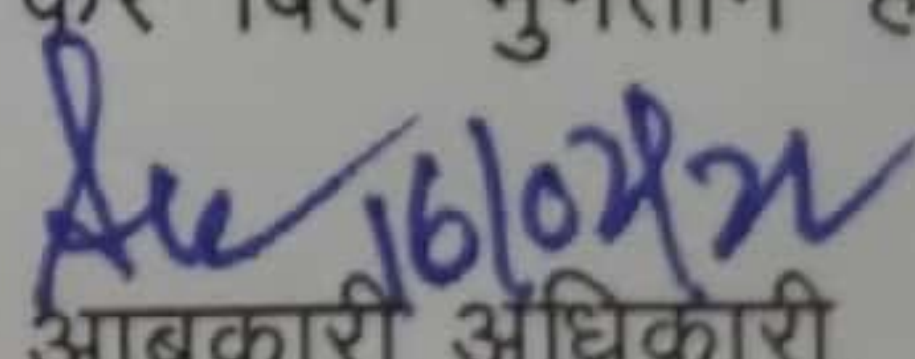
आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर सम्पादित की जायेगी तथा मदिरा की दुकान हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा प्रत्येक आवेदक को Digital Signature Certificate(DSC)तैयार करनी होगी जिसके माध्यम से वह आवेदन कर सकेगा। आवेदन केवल ऑन लाईन ही किया जा सकेगा। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अल्मोडा व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोडा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा।

संख्या 449/व्यवस्थापन मदिरा दुकान/वर्ष 2021-22/जि0आब0अधि0/अल्मोडा/दिनांक: फरवरी 16, 2022

1. आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, अल्मोडा।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी।
4. उप आबकारी आयुक्त आई0टी मुख्यालय देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें
5. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र- 3, भिकियासैण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कर दुकानों का व्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें।
6. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम संभव स्थान में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में दिनांक 17.02.2022 के अंक में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोडा।